W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /8990/2012/ जिला चुरू

मो0 आमीन पुत्र हुसैन जाति मुसलमान तैली, निवासी चुरू जिला चुरू।

.....प्रार्थी

बनाम

1— मुंशी पुत्र हुसैन बक्स जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या—3 पंखा रोड़, चुरू।

.....असल अप्रार्थी

2— रियाजुदीन पुत्र लाल मोहम्द

3— लाल मोहम्मद पुत्र सैरूदीन

4— हकीम अली पुत्र लाल मोहम्द
जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या—12 तह0 व जिला चुरू।

5— महबूब पुत्र हुसैन बक्स जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या—3, चुरू।

6— हुसैन बक्स पुत्र अजमुद्धीन जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या—3 तहसील व जिला चुरू।

7— मु0 आबिद परवनीन पत्नि हबीबुल जाति मुसलमान तैली निवासी वार्ड संख्या—29, मोहल्ला तेलियान , रतनगढ, तहसील रतनगढ जिला चुरू।

8— सौकत खॉ पुत्र महनू खां जाति कायमखानी, निवासी मोहल्ला तेलियान, तेलियान मस्जिद के पास, चुरू।

9— समुन्द्रसिंह भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी उडसर हाल निवासी बहादुरसिंह कॉलोनी, सरदार शहर, तहसील सरदार शहर जिला चुरू।

10— तहसीलदार चुरू।

11— उप पंजीयक, चुरू।

.....तरतीबी अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे.पी.माथुर, अभिभाषक प्रार्थी ।

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः— 10/12/2012

1— यह निगरानी न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, चुरू (अपीलीय न्यायालय) द्वारा पत्रावली संख्या 148/2012 में पारित आदेश दिनांक 26—10—2012 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 230 व 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय, उपखंड अधिकारी, चुरू (विचारण न्यायालय) में प्रार्थी/वादी ने एक दावा विरुद्ध अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत उक्त अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 933 रकबा 23 बीघा वाके ग्राम कस्बा चुरु पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका कोई बंटवारा लिखित व मौखिक नही हुआ है। विवादित आराजी संयुक्त रूप से चले आने के कारण खातेदारान में रोज आपस में विवाद होते रहते है, अतः वादी आपसी विवाद के चलते बंटवारा करवाना चाहता है। वाद के साथ धारा 212 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं होने तक आराजी को रहन, बय व अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करने और प्लाट नही काटने तथा प्रार्थी को काश्त करने से नही रोकने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी को सुनकर अपने एकपक्षीय अंतरिम (ad-interim ex-parte) आदेश दिनांक 28—08—2012 द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करतें हुये अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये। उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 28—08—2012 के विरुद्ध अपील अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। दौराने अपील प्रार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संबंधित अपील को अन्यत्र मुंतकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व मंडल में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें आगामी दिनांक 26—10—2012 की पेशी नियत है। दिनांक 26—10—2012 को मुंतकिली प्रार्थना पत्र को विचारार्थ ग्रहण किया जा कर राजस्व मंडल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी चुरू से पैरावाईज टिप्पणी तलब करने के आदेश दिये गये। किन्तु दिनांक 26—10—2012 को ही राजस्व अपील प्राधिकारी चुरू ने बिना प्रार्थी की बहस सुने आदेश दिनांक 26—10—2012 द्वारा उपखंड अधिकारी चुरू के आदेश दिनांक 28—08—2012 की पालना आगामी आदेश तक स्थगित कर दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26—10—2012 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।

3— चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 मुंशी की तरफ से केवियट प्रस्तुत हुई थी, अतः निगरानीकर्ता एवं केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किः—

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 28—08—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जो पोषणीय नहीं थी। धारा 212 अधिनियम, 1955 का मूल प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय में लम्बित था।

(2) प्रथम अपीलीय न्यायालय में विचारधीन अपील को अन्य़ मुन्तकिल किये जाने का प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर देने और इस आशय की सूचना प्रथम अपीलीय न्यायालय को देने के बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पालना स्थगित की है, जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरुद्ध पारित आदेश है। राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 26—10—2012 को राजस्व अपील प्राधिकारी चुरू से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गई की गयी थी किन्तु इस तथ्य की जानकारी के बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 26—10—2012 पारित कर दिया गया।

(3) अन्त में न्यायिक दृष्टान्त— 1974 RRD 50 तथा 1999 RRD 512 में प्रतिपादित सिद्धान्त की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य लाया जा चुका था कि विचाराधीन अपील को अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने का प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया जा चुका है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय को उक्त अपील में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं करना चाहिये था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26—10—2012 को अपास्त किया जावे।

5— निगरानी प्रार्थनापत्र एवं विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता के तर्को का विरोध करते हुये अप्रार्थी संख्या—1/ केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है किः—

(1) विवादित आराजी संयुक्त भुमि होने के साथ ही अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि है तथा अप्रार्थीगण को सुने बिना ही विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी थी। इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की अपील में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को सही रुप में स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश स्थगित किया है।

(2) विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय में स्थगन प्रार्थनापत्र पर दिनांक 19–10–2012 को बहस सुनी जा चुकी थी और बहस सुने जाने के बाद प्रकरण को मुन्तकिल कराने का प्रार्थनापत्र विधि अनुकूल नहीं था। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है।

(3) विद्वान अभिभाषक द्वारा 1985 RRD 351(LB) का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया कि वाद के साथ प्रस्तुत अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रार्थनापत्र पर पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के विरुद्ध धारा 225 (1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती है और ऐसी अपील पोषणीय है।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और आलोच्य आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत निगरानी सारहीन है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6– निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य आदेशों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7– विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28–08–2012, जिसके विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, वह पूर्णतः अन्तरिम था और विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकार के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील विचारणीय नहीं थी। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 के प्रार्थनापत्र पर पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? ''आदेशों के विरुद्ध अपील'' के प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 225 में है। उक्त धारा 225 निम्न प्रकार हैः–

"225. Appeals from orders.-

(1) An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in Third Schedule and from such other orders as are mentioned in Section 212 of this Act and in Section 104 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908)-

(a) to the Collector, if such order is passed by a Tehsildar;

(b) to the Revenue Appellate Authority, if such order is passed by an Assistant Collector, A Sub-Divisional Officer or a Collector; and

(c) to the Board, if such order is passed by a Revenue Appellate Authority.

(1A) The provisions of sub-section (1) shall apply to all suits, applications or proceedings pending on the date of the commencement of the Rajasthan Revenue Laws (Amendment) Ordinance, 1975 (Ordinance No. 13 of 1975).

(1B) All pending appeals from orders other than those from which an appeal lies under sub-section (1) shall abate on the date of the commencement of the Rajasthan Revenue Laws (Amendment) Ordinance, 1975 (Ordinance No. 13 of 1975).

(2) No appeal shall lie from any order passed in appeal under this Section."

उपरोक्त धारा 225 की उपधारा (1) के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त धारा में अपील के जो प्रावधान दिये गये हैं, उसके तीन भाग हैं:—

(1) अधिनियम की अनुसूची तृतीय में वर्णित प्रार्थनापत्र पर पारित अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील,

(2) अधिनियम की धारा 212 में यथा शामिल अन्य आदेश के विरुद्ध अपील, और

(3) सिविल प्रकिया संहिता की धारा 104 में शामिल अन्य आदेशें के विरुद्ध अपील।

इस धारा 225 (1) में शब्दावली अन्तिम आदेश (final order) का प्रयोग केवल अधिनियम की अनुसूची तृतीय में वर्णित प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश से पूर्व किया गया है और शेष दो प्रकार के आदेशों के लिये ''अन्तिम आदेश'' शब्दावली का प्रारम्भ (prefixed) में प्रयोग नहीं किया गया है। जिसका अर्थ है कि धारा 212 अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित आदेश अगर अन्तिम आदेश नहीं है तो भी उसके विरुद्ध धारा 225 अधिनियम के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

इस प्रश्न का परीक्षण राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा छविन्दर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण— 1976 RRD 591 में किया गया था। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 14—09—1976 का पेरा 6 निम्न प्रकार है:—

"6. After amendment the relevant portion of section 225 of the Rajasthan Tenancy Act reads as follows:

> *"An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in Third Schedule and from such other orders as are mentioned in Section 212 of this Act and in Section 104 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908)"*

On a perusal of the above, it is clear that while the clause 'application of the nature specified in the Third Schedule' is preceded by the words 'final order'. Words used in respect of

matters u/s 212 are 'such other orders as are mentioned in section 212 of this Act.' A bare reading of this provision shows that while an appeal u/s 225 would lie only against a final order in the case of applications of the nature specified in Third Schedule the restriction regarding final order would not be applicable on account of this provision in respect of orders u/s 212 and orders under this section would be appealable. It is pertinent to note that in respect of order u/s 104 of the Code of Civil Procedure also the words 'final oder' have not been used and on reading section 104 of the Code of Civil Procedure with Order 43 we find that orders under Order 40 relating to appointment of receivers are appealable orders. It can, therefore, be said that impugned orders u/s 212 are appealable and that the present revision is not maintainable because the recourse to remedy available u/s 225 of the Rajasthan Tenancy Act was not taken before coming in revision as required by 1973 RRD 189."

उमा राम बनाम पन्ना के प्रकरण 1985 RRD 351 में मण्डल की वृहद पीठ को विचारार्थ एवं उत्तर हेतु निम्न प्रश्न प्रेषित किया गया थाः—

"Where an ex-parte ad-interim temporary injunction is granted in favour of a party in a suit on an application made by him under section 212 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and notice is given to the opposite party to show cause why the ex-parte ad-interim temporary injunction should not be made absolute, whether an appeal lies against such ex-parte ad-interim temporary injunction under section 225(1) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

"Where an ex-parte order appointing a receiver is made in favour of a party in a suit on an application made by him under section 212 (1) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and notice is given to the opposite party to show cause why the ex-parte order appointing receiver should not be made absolute till the decision of the suit, whether an appeal lies against such an ex-parte order appointing receiver under section 225(1) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

माननीय वृहद पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 26—02—1985 द्वारा 1976 RRD 591, 1977 RRD 560, 1979 RRD 175, 1981 RRD 640, और रेफेरेंस संख्या 13/1960/टोंक उनवादी मु. मूली बनाम लक्ष्मीचन्द निर्णीत दिनांक 16—08—1960 आदि पर चर्चा/ विवेचना करने के बाद 1976 RRD 591 और मु. मूली बनाम लक्ष्मीचन्द के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त का समर्थन करते हुये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया है। उक्त निर्णय दिनांक 26—02—1985 के पेरा 20 से 23 को उदधृत करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार हैः—

"20. We are in perfect agreement with the reasoned findings contained in the above decisions which may be narrated as under:-

> *'Where a court issues an ex-parte ad-interim temporary injunction followed by a show cause notice, such orders are appealable under Order 43 Rule 1 of the Code of Civil Procedure. Such a party has got two remedies one to appeal (sic appear) before the same court who issued ex-parte ad-interim injunction or the other is to file an appeal against it. He cannot be forced to go before the court which passed the orders and issued a show cause notice."*

21. In view of the above discussions we are constrained to hold that the view taken by Shri M.L. Mehta in case Hoshyar Singh Vs. Ram Singh reported in 1981 RRD 640 is not a correct law and the expression 'such other orders as are referred to in section 212 of the Act' does not mean the 'final order' passed in section 212 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. According to the language in which the latter portion of the section is concerned does not mean that appellate jurisdiction is restricted only in respect of 'final order'.

22. The logical interpretation which can be given to the expression 'such other orders' as are referred to in section 225 of the Act of 1955 means such other orders whether interim or final as are mentioned in section 212 of the Act of 1955. No other interpretation is warranted from the language used.

23. We therefore, answer the questions referred to us by the learned single member Shri N. C. Sharma as under:-

> *"Where an ex-parte order of ad-interim temporary injunction or appointment of receiver is made in favour of a party in a suit on an application made by him under section 212 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and a show cause notice is given to the opposite party, why an ex-parte order of an ad-interim injunction or appointing a receiver should not be made absolute till the decision of the case, the said order is appealable under amended section 225 of the Act of 1955"*

इसी प्रकार **कस्तूरी जरिये वारिसान बनाम राजस्व मण्डल एवं अनय के प्रकरण 2010 RRD 415** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रश्न पर विचार करते हुये यह प्रतिपादित किया है किः–

*"A bare perusal of this section clearly reveals that Section 225(1) of the Act can be divided into three different categories, **firstly**, the final order passed on an application of the nature*

*specified in the Third Schedule; **secondly**, such other orders as are mentioned in Section 212 of this Act; **thirdly**, such other orders as are passed under Section 104 of the C.P.C. Although it has been contended that the word "final" would cover all the three categories, such a contention is untenable. For, before describing the second and third category, the legislature in its wisdom has used the words "such other orders". The words "such other orders" would naturally imply "orders" other than "the final order" as mentioned in the first category." (**para 12)***

उपरोक्त विवेचन एवं उदधृत न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है **वाद के साथ प्रस्तुत अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रार्थनापत्र पर पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के विरुद्ध धारा 225 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं और हमारा मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के एक पक्षीय अन्तरिम आदेश दिनांक 28–08–2012 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पोषणीय थीं।**

8– पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि से यह साबित है कि प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय में निर्णय हेतु नियत दिनांक 26–10–2012 से एक दिन पहले दिनांक 25–10–2012 को एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अधिवक्ता सहित प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि विचाराधीन अपील को मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें पेशी दिनांक 26–10–2012 नियत है। अतः विचाराधीन अपील में किसी प्रकार का आदेश प्रसारित नहीं किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के सामने प्रस्तुत होने पर उक्त प्रार्थनापत्र पर ही पीठासीन अधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि– ''**अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थनापत्र आधारहीन & इसका कोई औचित्य नहीं होने से & निर्णय आरक्षित 26–10–12 को होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। शामिल मिसल रहे।**'' यहां विचारणीय यह है कि जब प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के शपथपत्र सहित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपीलीय न्यायालय को यह अवगत करा दिया गया था कि अपील को अन्यत्र मुन्तकिल करने हेतु राजस्व मण्डल में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, तो पीठासीन अधिकारी अपीलीय न्यायालय को ऐसी क्या जल्दी थी, कि शपथपत्र सहित प्रार्थनापत्र को ''आधारहीन'' बता कर अपील में स्थगन प्रार्थनापत्र का निर्णय कर दिया। **हमारा यह मत है कि न्याय की पीठ पर बैठने वाले पीठासीन अधिकारियों के लिये न केवल निष्पक्ष होना आवश्यक है अपितु अपने व्यवहार से भी निष्पक्ष नजर आना आवश्यक होता है**

ताकि न्याय के इच्छुक पक्षकारान एवं जन साधारण का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। पीठासीन अधिकारी तब तक ही ''न्यायालय'' है जब तक कि वादकरण के दोनों पक्षकारान उसमें विश्वास है। अगर एक भी पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त कर दिया गया है तो फिर उस प्रकरण विशेष के लिये पीठासीन अधिकारी ''न्यायालय'' के स्तर को खो चुका होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र मय अधिवक्ता का शपथपत्र प्रस्तुत कर जब अपील में निर्णय पारित नहीं करने का अनुरोध कर दिया गया था तो इसका स्पष्ट आशय था कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता एवं न्याय–भावना में विश्वास नहीं रह गया था, किन्तु फिर भी अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांक 25–10–2012 को कारण रहित आदेश से खारिज करके अपील प्रकरण में स्थगन प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया व विचारण न्यायालय के अन्तरिम आदेश को निरस्त करने का आदेश प्रसारित कर दिया। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी का व्यवहार निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित व्यवहार के प्रतिकूल रहा है। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि आलोच्य आदेश दिनांक 26–10–2012 पारित करने में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग न्यायिक मापदण्डों के विपरीत किया है।

9– अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि न्यायालय के समक्ष धारा 212 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–08–2012 की अपील विचारधीन थी। उक्त अपील में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुये अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह भी अंकित कर दिया है कि **प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के घटक अपीलार्थी के पक्ष में है।** इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा एक प्रकार से मूल अपील को प्रभावित करने वाला निष्कर्ष स्थगन प्रार्थनापत्र के निर्णय के दौरान ही अंकित कर दिया है, जो कि अपेक्षित नहीं था। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 1982 RRD 720 से समर्थन लेते हुये प्रस्तुत इस तर्क से हम सहमत है कि स्थगन प्रार्थनापत्र के निर्णय के दौरान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्षों से मूल अपील का ही भाग्य तय हो गया है। अतः इस दृष्टि से भी आलोच्य आदेश दिनांक 26–10–2012 विधिक त्रुटि से ग्रसित है।

10– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 26–10–2012 न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षित उच्च स्तरीय मापदण्डों से हट कर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः हम सुविचारित मत के साथ उक्त आदेश 26–10–2012 के

विरुद्ध धारा 230 व 221 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं। हमारा यह भी स्पष्ट मत है कि प्रकरण की प्रकृति को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किये जाने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है।

11— परिणामतः हस्तगत निगरानी को एतदद्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य